पटना में दिनांक–18 नवम्बर, 2026 बुधवार को अपराह्न 12:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

खान एवं भूतत्व विभाग

1. गया जिलान्तर्गत अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में चिह्नित पत्थर भूखण्डों में से कुल दो पत्थर भूखण्ड संख्या–06 एवं 07 का आवंटन शर्त्तों एवं बंधेजों के अधीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में स्वीकृति के संबंध में। — **1. स्वीकृत।**

खान एवं भूतत्व विभाग

2. बिहार राज्य के जमुई जिलान्तर्गत मजोस एवं भंटा मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) ब्लॉक (पुनर्नीलामी) एवं बाँका जिलान्तर्गत पिंडारा (कॉपर–लेड–जिंक) ब्लॉक की ई–नीलामी के लिए अनुमानित संसाधनों का मूल्य (Value of Estimated Resource) गणना हेतु मूल्यांकन पद्धति, आरक्षित मूल्य (Reserve Price) एवं विभिन्न समय सीमा निर्धारण पर स्वीकृति के संबंध में। — **2. स्वीकृत।**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

3. विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में रबी एवं खरीफ विपणन मौसम में खाद्यानों की अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को आवश्यक क्रियाशील पूँजी 14000.00 करोड़ (चौदह हजार करोड़) रूपये के विरूद्ध कुल 11200.00 करोड़ (ग्यारह हजार दो सौ करोड़) रूपये की ऋण राशि विभिन्न वित्तीय संस्थानों, यथा व्यावसायिक बैंक/नाबार्ड आदि से प्राप्त किए जाने हेतु राजकीय गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में। — **3. स्वीकृत।**

पंचायती राज विभाग

4. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के वार्डों में संचालित नल–जल योजना के संचालन हेतु निर्मित जलापूर्ति केन्द्रों/जल मीनारों पर 05 किलोवाट ऑनग्रीड सोलर पैनल के अधिष्ठापन एवं अनुमानित व्यय ₹48,09,52,00,000.00 (अड़तालीस सौ नौ करोड़ बावन लाख रूपये) की स्वीकृति के संबंध में। — **4. स्वीकृत।**

पंचायती राज विभाग

5. पंचायती राज विभाग द्वारा निर्मित एवं निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट ऑनग्रीड सोलर पैनल के अधिठापन एवं अनुमानित लागत व्यय कुल– ₹4,82,82,00,000/– (चार सौ बयासी करोड़ बयासी लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में। — **5. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

6. बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम–271 एवं 272 में संशोधन के संबंध में। **6. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

7. सप्तम् राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च, 2027 तक विस्तारित करने के संबंध में। **7. स्वीकृत।**

भवन निर्माण विभाग

9. आई०आई०टी०, पटना रिसर्च पार्क के निर्माण हेतु सेन्टर फॉर अर्बनाईजेशन, बिल्डिंग एण्ड इन्वॉयरमेंट (CUBE), आई०आई०टी०, मद्रास को मुख्य परामर्शी तथा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सल्टेंट के रूप में परियोजना लागत ₹305.00 करोड़ (तीन सौ पाँच करोड़ रूपये) के कुल–05 प्रतिशत दर पर बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम सं०–131ज्ञ(छ) के तहत नामांकन के आधार पर चयनित करने तथा उसके साथ समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति के संबंध में। **9. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

10. दरभंगा जिलान्तर्गत गंगवारा में सिर/मुँह एवं गर्दन (Head & Neck) के कैंसर अस्पताल के संचालन हेतु होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर को सुपुर्द किये गये अस्पताल भवन में ही सदर अस्पताल, गंगवारा, दरभंगा के संचालन की स्वीकृति। **10. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

11. डा0 अनुराधा (कोटि क्रमांक–G3323/2025), सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रहटा, कुमारखंड, मधेपुरा को दिनांक– 17.09.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। **11. स्वीकृत।**

सूचना प्रावैधिकी विभाग

12. सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय हेतु सहायक जिला ई॰–गवर्नेंस पदाधिकारी, जिला ई–गवर्नेंस पदाधिकारी, उप निदेशक, ई–गवर्नेंस एवं संयुक्त निदेशक (Planning) तथा संयुक्त निदेशक (Projects) के स्थायी रूप से कुल–124 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। **12. स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

13. बिहार राज्य अंतर्गत 3X800 मेगावाट सुपर थर्मल पावर प्लांट पीरपैंती, भागलपुर से विद्युत निकासी हेतु अंतरा–राज्यीय संचरण परियोजनाओं के निर्माण के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी निविदा (TBCB Mode) के माध्यम से E-Reverse Auction के फलस्वरूप सफल निविदादाता मेसर्स अदानी एनर्जी सोल्यूशन लिमिटेड द्वारा 35 वर्षों के लिए वार्षिक संचरण टैरिफ (Annual Transmission Charges) 493.762 करोड़ (चार सौ तिरानवे करोड़ छिहत्तर लाख बीस हजार) रूपये प्रतिवर्ष (विद्युत अधिनियम–2003 की धारा–63 के प्रावधान के तहत टैरिफ बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अपनाने के अधीन) जिसे दोनों वितरण कम्पनियों (यथा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०) द्वारा भुगतान किया जाएगा एवं 35 वर्षों के पश्चात् सभी निर्मित संरचनाओं को स्टेट ट्रांसमिशन युटिलिटी (वर्तमान में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं० लि०) को निःशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

13. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

14. बक्सर–भागलपुर छः–लेन पूर्णतः एक्सेस कन्ट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी०पी०आर०) तैयार करने एवं ट्रॉन्जेक्शन एडवाइजर (Transaction Advisor) की परामर्श सेवाएँ प्राप्त करने हेतु कुल राशि ₹6658.19 लाख (रूपये छियासठ करोड़ अट्ठावन लाख उन्नीस हजार) मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

14. स्वीकृत।

गृह विभाग

15. बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम, 2021 (बिहार अधिनियम, 3, 2021) की धारा–18 में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस हस्तक, 2026 अधिसूचित किए जाने की स्वीकृति के संबंध में।

15. स्वीकृत।